



2026:AHC-LKO:11021-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
सिविल विविध पुनर्विलोकन आवेदन दोषपूर्ण सं. - 153/2022

उत्तर प्रदेश राज्य, अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग

उत्तर प्रदेश सरकार, सिविल सचिवालय, लखनऊ के माध्यम से और अन्य

.....अपीलकर्ता(गण)

बनाम

अनिरुद्ध प्रकाश पांडे और अन्य

..... विरोधी पक्ष(गण)

अपीलकर्ता(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

विरोधी पक्ष(गण) के अधिवक्ता :

न्यायालय सं. - 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन रॉय

माननीय न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी

(सी. एम. आवेदन सं. 1/2022 पर आदेश; विलंब के लिए क्षमादान हेतु आवेदन)

1. सुना गया।

2. यह दिनांक 18.12.2019 के आदेश के पुनर्विलोकन की मांग करने वाले पुनर्विलोकन आवेदन दाखिल करने में हुए विलंब को क्षमा करने के लिए एक आवेदन है। यह आदेश पुनर्विलोकन याचिका सं. 118058/2017 पर पारित किया गया था, हालांकि यह किसी दूसरे पक्ष के कहने पर हुआ था, राज्य के कहने पर नहीं। पुनर्विलोकन की मांग वाला आवेदन दिनांक 18.12.2019 के

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

उस आदेश के पारित होने के 306 दिनों से अधिक के विलंब से दाखिल किया गया है। आदेश में स्थायी अधिवक्ता की उपस्थिति और उनसे पूछे गए प्रश्न का उल्लेख है, इसलिए, आवेदक-राज्य यह नहीं कह सकता कि उन्हें उस आदेश के बारे में जानकारी नहीं थी क्योंकि स्थायी अधिवक्ता ने उनका विधिवत प्रतिनिधित्व किया था।

3. इस स्तर पर, प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित हुए विद्वान अधिवक्ता डॉ. एल.पी. मिश्रा का कहना है कि दिनांक 18.12.2019 के आदेश के विरुद्ध दाखिल **विशेष अनुमति अपील (सी) सं. 10327/2022 ;उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम अनिरुद्ध प्रकाश पांडे एवं अन्य**, जिसका पुनर्विलोकन राज्य ने मांगा है, उसे दिनांक 25.07.2022 को पहले ही खारिज कर दिया गया है। उनका यह भी कहना है कि राज्य ने दिनांक 18.12.2019 के उसी आदेश के पुनर्विलोकन के लिए एक ऐसा ही पुनर्विलोकन दाखिल किया था, जिसका पुनर्विलोकन मांगा गया है, जिसे सिविल विविध पुनर्विलोकन आदेश दोषपूर्ण सं. 152/2022 को पहले ही खारिज कर दिया गया है, हालांकि, स्थायी अधिवक्ता का कहना है कि सिविल विविध पुनर्विलोकन आवेदन दोषपूर्ण सं. 152/2022 में पारित हुए दिनांक 05.01.2023 के उस निर्णय के विरुद्ध विशेष अपील याचिका दाखिल की गई है, जो लंबित है।

4. जो भी हो, हम इसमें शामिल विवाद्यों के गुण-दोष से चिंतित नहीं हैं और हम केवल विलंब के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं।

5. हमने पुनर्विलोकन की मांग वाले इस आवेदन को दाखिल करने में हुए विलंब को क्षमा करने के आवेदन के पक्ष में दिए गए शपथपत्र को देखा है और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **शिवम्मा(मृत) द्वारा विधिक प्रतिनिधि बनाम कर्नाटक हाउसिंग बोर्ड एवं एक अन्य, 2025 एससीसी ऑनलाइन 1969 निर्णीत 12.09.2025** में दिए गए हालिया निर्णय के कसौटी के

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आधार पर 306 दिनों के अत्यधिक विलंब को समझाने के लिए दिया गया स्पष्टीकरण संतोषजनक और पर्याप्त नहीं पाया गया। केवल फाइल को एक मेज/कार्यालय से दूसरे मेज/कार्यालय में स्थानांतरित करना इतने अधिक विलंब के लिए स्वीकार्य स्पष्टीकरण नहीं है।

6. उपरोक्त चर्चाओ/अवलोकन के मद्देनजर, विलंब को क्षमा करने हेतु आवेदन अस्वीकृत किया जाता है, परिणामस्वरूप, पुनर्विलोकन आवेदन अस्वीकृत माना जाएगा।

(न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी) (न्यायमूर्ति राजन राय)

12 फरवरी, 2026

पीयूष